न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी–संजय शर्मा

अपील संख्या 124 / 2024 तारीख रजू 02.12.2024

श्रीमती मीठी देवी पत्नी रामजीलाल निवासी खिरनी, तहसील मलारना डूंगर । ––– अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार मलारना चौड, तहसील मलारना डूंगर। ––– रेस्पोडेन्ट

उपस्थिति –

श्री जयप्रकाश सैनी एडवोकेट – अपीलार्थी

पेरोकार राजस्व – रेस्पोडेन्ट

निर्णय **दिनांक** 08.08.2025

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा मिसल संख्या 190 / 2024 मे पारित आदेश दिनांक 25.09.2024 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को मौजा खिरनी के आराजी खसरा नम्बर 3112 रकबा 0.1 हैक्टेयर किस्म सिवायचक / चरागाह पर अतिक्रमण करने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का फैसला विधि के विरूद्ध एवं पत्रावली के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अपीलार्थी का निवास आराजी ख0नं0 3112 रकबा 0.01 है0 किस्म बारानी 2 वाके ग्राम खिरनी उप तहसील मलारना चौड में स्थित है और उक्त भूमि पर अपीलार्थी 35–40 वर्षों से घर बनाकर रिहायशी कर रहे हैं एवं अपने परिवारजनों का पालन पोषण करते चले आ रहे हैं। उक्त भूमि पर अपीलार्थी का लगभग 35–40 वर्षो से लगातार कब्जा होने के उपरान्त भी अप्रार्थीगण संख्या 1 नायब तहसीलदार मलारना चौड अपीलार्थी को बिना नोटिस दिये और बिना सुने ही दिनांक 25.09.2024 को निर्णय पारित कर दिया जो विधि के विपरीत है। अपीलार्थीगण भूमिहीन है जो कि उक्त भूमि का उपयोग रिहायश के लिये कर रहे है जिस पर अपीलार्थीयों द्वारा कोई काश्त नहीं किया जा रहा है। अपीलार्थीगण ने पूर्व में भी कई बार अप्रार्थीगण के यहां उक्त भूमि की खातेदारी घोषित करने एवं उक्त भूमि का आवंटन करने हेतु कई बार आवेदन पेश किया लेकिन अपीलार्थीयों के आवेदन पर किसी प्रकार का आचार–विचार कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आराजी ख0नं0 3112 पर बने आवास पर सरकारी योजनाओं के लाभ मिल रहे है व बिजली पानी के कनेक्शन लगे हुये है। समस्त सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 ने गलत तरीके से 91 की कार्यवाही कर अपीलार्थीगण का कब्जा हटाना चाहते है [illegible] राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.09.16 09:49:04 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

सरकार द्वारा बनायी गयी पॉलिसी दिनांक 27.12.2021 के अनुसार जो परिवार कम से कम 35 वर्षो से घर बना कर रह रहें हैं उनके आवास को नियमित करने की राय दी गई है। अपीलार्थीगण के पास उक्त भूमि के अलावा रिहाईश का कोई साधन नहीं है एवं बेदखल की स्थिति में अपीलार्थीगण के पास अपने व अपने परिवारजन के आवास के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। भूमि आराजी ख0नं0 3112 किस्म भूमि बारानी 2 को अपीलार्थीगण के कब्जे में से बेदखल करने हेतु किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करें और भविष्य में जब भी भूमि के आवंटन हेतु राजकीय केम्प लगे तो अपीलार्थीगण के पक्ष में उक्त भूमि का आवंटन किये जाने हेतु निर्देशित करें। अन्त मे वकील अपीलान्ट द्वारा अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.09.2024 को निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस मे कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने व पुख्ता अतिक्रमण साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91 का नोटिस जारी किया गया है जिस पर तामीलकर्ता के रूप में कमलेश मीना के हस्ताक्षर है जिसका अपीलार्थी से क्या संबंध है यह भी अंकित नहीं है। जिससे यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी की प्रोपर तामील हुई हो। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को बिना सुने ही विचाराधीन निर्णय पारित किया जाना प्रतीत होता है। अपीलार्थी द्वारा पेश की गई अपील में अपीलार्थी का उक्त विवादित आराजी ख0नं0 3112 पर विगत 35–40 वर्षो से घर बनाकर रिहाईश करने का कथन किया है तथा कथन के समर्थन में वर्ष 2001 का निर्वाचन परिचय पत्र की प्रति पेश की है, जबकि पटवारी रिपोर्ट में पक्के मकान को नवीन अतिक्रमण दर्शाया है। अधीनस्थ न्यायालय की उपलब्ध पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं है जिससे यह पता चल सके कि अपीलार्थी द्वारा किया गया मकान का निर्माण नवीन अतिक्रमण हो।

अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार फरमायी जाती है तथा नायब तहसीलदार मलारना चौड का निर्णय दिनांक 25.09.2024 निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली नायब तहसीलदार मलारना चौड को प्रतिप्रेषित (Remand) कर निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलार्थी की प्रोपर तामील करवाकर, अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर आवश्यक रूप से अन्दर एक माह निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.09.16 09:49:04 IST
Reason: SelfAttested